

प्रेषक,  
देवीदास,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में  
समस्त जिलाधिकारी,  
उ0प्र0।

राहत आयुक्त कार्यालय

लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2017

विषय: जनपद में मोटर बोट एवं नाव की उपलब्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण कुछ जनपदों में मोटर बोट एवं नाव की कमी अनुभव की जा रही है। अतः अन्य जनपदों से इस संबंध में व्यवस्था का समन्वय कराया जाना अति आवश्यक हो गया है।

अतः आप से अनुरोध है कि अपने जनपद में उपलब्ध मोटर बोट एवं नाव के संबंध में निम्न प्रारूप पर वांछित सूचना तत्काल राहत आयुक्त कार्यालय के फैंक्स (0522-2238084) एवं मेल (rahat@nic.in) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

### जनपद में उपलब्ध मोटर बोट/नाव की उपलब्धता का विवरण पत्र

जनपद का नाम.....

दिनांक.....

| मोटर बोट/नाव | जनपद में उपलब्ध कुल सं० | वर्तमान बाढ़ में प्रयोग में लायी जा रही कुल सं० | अन्य जनपदों को उपलब्ध कराये जाने हेतु अतिरिक्त सं० | यदि जनपद में कमी है तो अतिरिक्त मांग की सं० | जनपद के उत्तरदायी नोडल अधिकारी का नाम/पदनाम/ मो०नं० (जिनसे नाव /मोटर बोट मांगने के लिए सम्पर्क किया जा सके) |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मोटर बोट     |                         |                                                 |                                                    |                                             |                                                                                                             |
| नाव          |                         |                                                 |                                                    |                                             |                                                                                                             |

भवदीय,  
(देवीदास)  
विशेष सचिव।